न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार बुनकर (आर.ए.एस)

मु0 नं0 23/2018

तहसीलदार हिण्डौन जिला करौली .....वादी

बनाम्

निरंजन लाल शर्मा पुत्र बाबूलाल वगै0 (14).....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

पक्षः–

1. अधिवक्ता पेरोकार सरकार वादी की ओर से ।
2. अधिवक्ता नरेन्द्रसिंह जादौन प्रतिवादी सं0 1 ता 13 की ओर से।

निर्णय दिनांक 20.06.2019

दावा हाजा के संक्षेप मे तथ्य यह है कि तहसीलदार हिण्डौन वादी द्वारा खातेदार निरंजन लाल शर्मा व अन्य के विरूद्व न्यायालय हाजा में भूमि ख.नं. 2444 रकबा 2.67 है0 किस्म चाही 1 कस्बा हिण्डौन के सबंध में उनको प्राप्त भू.अभि. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2018 के आधार पर उक्त आराजी को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिये जाने के कारण उक्त आराजी को सिवायचक घोषित करवाने के लिये यह दावा हाजा पेश किया गया है जिसे दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण 1ता 13 की ओर से उक्त दावा हाजा में दिनांक 22.01.2019 को जबॉब दावा पेश कर रिपोर्ट दिनांक 28.02.2018 को मोके के विरूद्व एवं विवादित आराजी को अकृषि प्रयोजन में नही लिया जाना दर्ज कर,दावा वादी तहसीलदार हिण्डौन खारिज करने का निवेदन किया, एवं प्रथक से शीघ्र सुनवाई का पेश किया जिस पर दिनांक 16.05.2019 को तहसीलदार हिण्डौन से उक्त आराजी के सबंध में विस्तृत मौका रिपोर्ट तलब की गई, तहसीलदार हिण्डौन द्वारा उक्त प्रकरण में जरिये पत्र कमांक 223 दिनांक 20.05.2019,हल्का पटवारी व भू.अभि.निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.05.2019 को खं0नं0 2444 के सबंध में तैयार की मौका रिपोर्ट व नक्शा न्यायालय हाजा में पेश किया प्रतिवादीगण की ओर से जबॉब के साथ उक्त खं0नं0 की सम्वत् 2071,2072,2073,2074 की खसरा गिरदावरी पेश की है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की, सुना गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2018 के साथ खं0नं0 2444 का कोई नक्शा नही है, जिससे खसरे के रकबे में से कितनी भूमि और कब से अकृषि के उपयोग में आ रही है स्पष्ट नही है खसरा गिरदावरी सम्वत् 2071 में उक्त खसरे के 2.10 है0 पर फसल सरसों गेहुँ चना ,बाजरा डेहचा, चरी, सम्वत् 2072,2073 में रकबा 2.20 है0 पर फसल बाजरा चरी सरसों चना और तिल ग्वार की फसल काश्त होना दर्ज है मौका रिपोर्ट दिनांक 14.05.2019 के अनुसार (खं0 नं0 2444 पूरा पडत पडा हुआ है,उत्तर साईड में मण्डावरा रोड की तरफ उक्त खसरे में मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

दुकानात व दासे बंन्दी वनी हुई है जो काफी पुरानी है लगभग 25–30 साल पुरानी है दासेबंन्दी की नाप 18 गुणा 14 व 18 गुणा 40 वर्गफिट है निर्मित दुकानों की नाप 18 गुणा 34 व 18 गुणा 32 वर्गफिट है 18 गणा 32 वर्गफिट की दुकानों के पीछे वाउण्डरी वनी हुई है जो नाप में 20 गुणा 52 वर्गफिट है वाउण्डरी के अन्दर बोरिंग वनी हुई है उक्त सभी निर्माण पूर्व के खातेदारान द्वारा बनाये गये है जो लगभग 25–30 वर्ष पुराने है उक्त खसरा नं0 के गेट के एक पल्ले पर कृषि फार्म हाउस व मौजूदा खाजेदार नरेश,सत्यप्रकाश,मनोज का नाम व दुसरे पल्ले पर निरंजन,राकेश,राजीव मुडीया वाले का नाम अंकित है वर्तमान में उक्त खं.नं. 2444 में कोई भी कृषि एवं आवासीय उपयोग नही हो रहा है व ख.नं. 2444 सम्वत् 2074 से पडत है एवं इससे पूर्व के वर्षो में काश्त उपयोग में ली जा रही है वर्तमान में खं.न. 2444 में कोई नवीन निर्माण नही है) का अवलोकन किया जिससे यह प्रमाणित है कि खं.नं. 2444 में जो की 2.67 है0 नाप का है मे से लगभग 400 वर्गगज यानि लगभग 3 ऐयर रकबे पर ही 25–30 साल पुराना निर्माण है जिसके सबंध में अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क है कि उक्त निर्माण भी विवादित भूमि में नही है गैर मुमकिन रास्ते की सरकारी भूमि मे है जबकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वाद में उक्त संम्पूर्ण रकबा 2.67 है0 को अकृषि कार्य में उपयोग लिया जाना दर्ज किया है जिसकी उनके द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 14.05.2019 एवं मौका गिरदावरी रिपोर्ट से पुष्टि नही होती है फिर भी तत्कालीन तहसीलदार द्वारा मौके के विरूद्व खातेदारान के विरूद्व उक्त वाद पेश कर गैर जिम्मेदारना कृत किया है।

अतः दावा वादी तहसीलदार हिण्डौन विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् कृषि भूमि खसरा नं0 2444 कस्बा हिण्डौन को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करने सारहीन होने के कारण उक्त विवेचना अनुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है साथ ही तहसीलदार हिण्डौन को निर्देशित किया जाता है कि कृषि भूमि के सबंध में आवश्यक विधिक जॉच किये बिना भविष्य में कोई धारा 177 काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश नही करें, खं.नं. 2444 के कुछ नगन्य भाग पर जो पुराने निर्माण है वो कृषि भूमि में है या सरकारी भूमि में इस सबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही काश्तकारी अधिनियम या भू.राजस्व अधिनियम के तहत् प्रथक से अमल में लाई जावें। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner